संख्या- 288 /2024 / 1768 /चार-2024

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 05 अगस्त, 2024

विषय:- भारतरत्न डॉ0 भीमराव आम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र, लखनऊ के प्रेक्षागृह के निर्माण तथा ऑडिटोरियम के बाहरी एवं आन्तरिक साज-सज्जा हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 563/सं0नि0-6(30) /2023-24, दिनांक 19 जून, 2024 के संदर्भ में अवगत कराना है कि डॉ0 भीमराव आम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र, लखनऊ के प्रेक्षागृह के निर्माण तथा ऑडिटोरियम के बाहरी एवं आन्तरिक साज-सज्जा कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम द्वारा प्रस्तावित आगणन रू0 4994.50 लाख का प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा परीक्षण करते हुए परियोजना की मूल्यांकित लागत रू0 4442.98 लाख आंकलित की गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डॉ0 भीमराव आम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र, लखनऊ के प्रेक्षागृह के निर्माण तथा ऑडिटोरियम के बाहरी एवं आन्तरिक साज-सज्जा कार्य हेतु धनराशि रू0 4442.98 लाख (रूपये चौवालीस करोड़ बयालीस लाख अट्ठानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 1555.00 लाख (रूपये पन्द्रह करोड़ पचपन लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) जनपद लखनऊ में भारत रत्न डा० भीमराव अम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र, लखनऊ के निर्माण कार्य एवं मूलभूत सुविधाओं से सम्बन्धित मूल प्रायोजना व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 03-09-2021 में लागत रू0 4368.77 लाख अनुमोदित की गयी थी। तत्क्रम में शासनादेश संख्या- 149/2021/ 1464/चार-2021 दिनांक 23 सितम्बर, 2021 द्वारा जनपद लखनऊ में भारत रत्न डा० भीमराव अम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र, लखनऊ के निर्माण कार्य एवं मूलभूत सुविधाओं हेतु रू0 4368.77 लाख की प्रशासकीय एवं रू0 1092.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। संस्कृति निदेशालय / कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि दोनों प्रायोजना के प्रस्तावित कार्यों की आपस में द्विरावृत्ति न होने पाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(3) प्रायोजना में प्रस्तावित AUDITORIUM FURNITURE (Rs. 62.01 Lacs), PA SYSTEM (Rs. 5.00 Lacs), UPS SYSTEM (Rs. 4.10 Lacs), CCTV SYSTEM (Rs. 25.00 Lacs), PROJECTOR (Rs. 30.00 Lacs) & AUDIO VIDEO SYSTEM (Rs. 58.53 Lacs) की धनराशि अनुमन्य की गयी है। उक्त के क्रय, स्पेसीफिकेशन एवं मात्रा इत्यादि हेतु प्रमुख सचिव, संस्कृति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा। इस समिति द्वारा इन कार्यमदों की आवश्यकता एवं औचित्य के परीक्षणोपरान्त जो लागत (अधिकतम आंकलित लागत सीमान्तर्गत) न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रायोजनान्तर्गत PA SYSTEM, UPS SYSTEM, CCTV SYSTEM, PROJECTOR, AUDIO VIDEO SYSTEM व लिफ्ट की लागत को इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करेगी। संस्कृति निदेशालय / कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जायेगा।

(5) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० अलग से सम्मिलित न हो।

(6) संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

(7) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था-सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ / संस्कृति निदेशालय का होगा।

(8) प्रायोजना का निर्माण कार्य सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही प्रारम्भ कराया जायेगा।

(9) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(10) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(11) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(12) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(13) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा।

(14) परियोजना निर्माण की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा समय-समय पर भौतिक निरीक्षण करते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(15) संस्कृति निदेशालय द्वारा उक्त धनराशि कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन तथा संस्कृति निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(16) उक्त परियोजना हेतु मदवार मूल्यांकित / स्वीकृत लागत का विवरण संलग्न है।

(17) संस्कृति निदेशालय विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(18) संस्कृति निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 15,55,00,000/- (रुपये पन्द्रह करोड़ पचपन लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखा शीर्षक** 4202048000900 भारत रत्न डॉ0 भीमराव अम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-7-63-X-2024-25-दिनांक 02-08-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 288 /2024 / 1768 (1) /चार-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- महाप्रबंधक, सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(Rs in Lacs)

S.N.	DESCRIPTION OF ITEM	PROPOSED COST	PFAD COST	Deduction
1	EARTH WORK (Around Basement, Plinth & Chemical Emulsion Etc.)	183.17	183.17	0.00
2	PLAIN CEMENT CONCRETE WORK (Below Basement Retaining wall & Pile Cap Etc.)	22.10	22.10	0.00
3	REINFORCED CEMENT CONCRETE WORK	1353.19	1352.66	-0.53
4	BRICK WORK	37.18	37.18	0.00
5	WOOD AND PVC WORK (Doors, Windows, Shutters Etc.)	131.20	127.38	-3.82
6	STEEL WORK	13.79	13.79	0.00
7	ALUMINIUM WORK(Doors, Windows, Partitions Etc.)	1.56	1.56	0.00
8	FLOORING WORK (LOWER, UPPAR FLOOR AND BALCONY ETC.)	140.95	132.13	-8.82
9	FINISHING WORK	106.92	102.33	-4.59
10	WATER PROOFING WORK (Basement ,TERRACE Area Etc.)	58.73	58.73	0.00
11	ROOFING WORK(false ceiling,Fully Perforated Gypsum Plaster Board & Channelled Woodworks perforated panels)	114.61	106.65	-7.96
12	CLADDING(kitchen platforms, vanity counters, window sills, facias and similar locations of required) & STONE CLADDING WORKStone work (machine cut edges) for wall lining etc.)	663.51	642.73	-20.78
13	MISCELLANEOUS WORK (Acoustical Suspended Ceiling in Auditorium, MAIN & CENTER CURTAIN ,Stage Personium Wall & ETC.)	127.63	71.92	-55.71
	TOTAL	**2954.54**	**2852.33**	**-102.21**
14	**PUBLIC HEALTH & FIRE FIGHTING**			
a	Sanitary Fixtures & CP Brass Fittings	49.84	44.86	-4.98
b	Soil, Waste, Vent & Rain Water Pipes	17.16	16.33	-0.83
c	Water Supply System	6.64	6.49	-0.15
d	External Water Supply &Landscape Irrigation System	1.00	1.00	0.00
e	Sewerage System	4.83	4.67	-0.16
f	Storm Water Drainage	10.12	10.12	0.00
g	Rain Water Harvesting(No.01)	5.59	5.59	0.00
h	Water Supply & Drainage Pumps	5.35	5.04	-0.32
i	Fire Fighting System	60.6	60.09	-0.51
15	**ELECTRICAL WORKS**			
a	POINT WIRING	93.04	93.04	0.00
b	MV DISTRIBUTION BOARDS	1.88	1.88	0.00
c	SWITCHES & ACCESSORIES	34.51	31.59	-2.92
d	MV PANELS	34.22	30.80	-3.42
e	LIGHT FIXTURE & FAN	11.86	10.68	-1.18
f	STRUCTURED CABLING SYSTEM PASSIV	13.41	12.07	-1.34

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(Rs in Lacs)

S.N.	DESCRIPTION OF ITEM	PROPOSED COST	PFAD COST	Dedu-ction
g	IP-PBX SYSTEM	28.27	अनुमन्य नहीं	-28.27
h	FIRE DETECTION SYSTEM/ Fire Alarm control Panel	64.05	63.05	-1.00
i	PA SYSTEM	8.08	क्रमांक–26 पर	-8.08
j	EARTHING AND LIGHTING CONDUCTOR	9.52	8.85	-0.67
k	UPS SYSTEM	4.56	क्रमांक–27 पर	-4.56
l	16 Passenger Lift-02 No.	42.65	क्रमांक–31 पर	-42.65
m	LOCAL AREA NETWORK (LAN)	50.48	अनुमन्य नहीं	-50.48
n	Wi-Fi SYSTEMS	111.09	औचित्य अस्पष्ट	-111.09
o	CCTV SYSTEM & Projector	73.43	क्रमांक–28 एवं 29 पर	-73.43
p	AUDIO VIDEO SYSTEM	65.03	क्रमांक–30 पर	-65.03
q	STAGE LIGHTING SYSTEM	44.03	39.63	-4.40
16	HVAC WORK (188 HP)	110.80	110.80	0.00
17	AUDITORIUM FURNITURE	68.90	62.01	-6.89
	TOTAL	**3985.48**	**3470.90**	**-514.58**
18	Contingency @ 2% (Max Rs. 50 Lacs)	क्रमांक–24 पर	50.00	50.00
	TOTAL	**3985.48**	**3520.90**	**-464.58**
19	Third Party Inspection fee @ 1%	39.85	अनुमन्य नहीं	-39.85
20	Special Aesthetic, Architectural, Murals etc Consultancy Work @ 1.25%	49.82	सेन्टेज में शामिल	-49.82
	TOTAL	**4075.15**	**3520.90**	**-554.26**
21	Less 5%	-203.76	-176.04	27.71
	TOTAL	**3871.40**	**3344.85**	**-526.54**
22	GST @ 18.00%	696.85	602.07	-94.78
23	Labour Cess @ 1 %	38.71	33.45	-5.27
24	CONTINGENCY CHARGES @2%	77.43	0.00	-77.43
25	CENTAGE CHARGES @ 8.00%	309.71	267.59	-42.12
26	PA SYSTEM	0.00	5.00	5.00
27	UPS SYSTEM (20 KVA) – 2 No.	0.00	4.10	4.10
28	CCTV SYSTEM	0.00	25.00	25.00
29	PROJECTOR	0.00	30.00	30.00
30	AUDIO VIDEO SYSTEM	0.00	58.53	58.53
31	16 Passenger Lift-02 No.	0.00	42.65	42.65
32	GST @ 18.00% On s.No. (26 To 31)	0.00	29.75	29.75
	TOTAL	**4994.09**	**4442.98**	**-551.11**

https://...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।